भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1843
11 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए अध्ययन

1843. श्री भोजराज नागः
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
श्री चिन्तामणि महाराजः
श्री जगदम्बिका पालः
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:
श्री गणेश सिंहः
श्री बिभु प्रसाद तराईः
डॉ. हेमांग जोशी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विभिन्न फसलों के संबंध में कटाई के बाद होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए हाल ही में कोई राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन कराया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;
(ग) कटाई के बाद होने वाले नुकसानों, विशेषकर नाशवान फसलों के प्रसंस्करण और शीत शृंखला अवसंरचना संबंधी नुकसानों को कम करने के लिए वर्तमान में कौन-कौन सी प्रमुख योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही है और उक्त योजनाओं के अंतर्गत विशेषकर महाराष्ट्र के पालघर जिले में अब तक कितनी प्रगति हुई है;
(घ) क्या सरकार ने भंडारण, प्रसंस्करण और शीत शृंखला अवसंरचना को सुदृढ़ करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और
(च) राजस्थान, विशेषकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर जिलों और महाराष्ट्र के पालघर जिले में किए गए कार्यों और आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (नैबकोंस) के माध्यम से संदर्भ वर्ष 2020-22 के साथ वर्ष 20-22 में "भारत में कृषि उत्पादों की फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए अध्ययन "नामक एक अध्ययन कराया था। अध्ययन में उल्लिखित विभिन्न वस्तुओं के अनुमानित नुकसान का विवरण नीचे दिया गया है:

प्रमुख फसलों और वस्तुओं का फसलोत्तर नुकसान

फसलें/वस्तुएं	**अनुमानित प्रतिशत हानि**
अनाज	3.89-5.92
दालें	5.65-6.74
तिलहन	2.87-7.51
फल	6.02-15.05
सब्ज़ियाँ	4.87-11.61
रोपण फसलें और मसाले	1.29-7.33
दूध	0.87
मत्स्य पालन (अंतर्देशीय)	4.86
मत्स्य पालन (समुद्री)	8.76
मांस	2.34
पॉल्ट्री	5.63

अंडा	6.03

(ग) से (ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) का उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) जैसी विभिन्न पहलों और योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास करना है। एमओएफपीआई उपर्युक्त योजनाओं की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत , खेत से खुदरा बिक्रेताओं तक उत्तम आपूर्ति श्रृंखला के साथ आधुनिक अवसंरचना के निर्माण में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार निर्मित अवसंरचना तथा प्रदान की गई सहायता का उद्देश्य किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करना, रोज़गार के अवसर सृजित करना, बर्बादी कम करना, प्रसंस्करण स्तर बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात बढ़ाना है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने वर्ष 2017-18 से पूरे देश में केंद्रीय क्षेत्र की अंब्रेला स्कीम – प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) लागू की है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजनाएँ हैं (i) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ii) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का निर्माण/विस्तार (सीईएफपेपीसी स्कीम), (iii) ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी स्कीम), (iv) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए अवसंरचना निर्माण (एपीसी स्कीम), (v) मेगा फूड पार्क (एमएफपी स्कीम- दिनांक 01.04.2021 से बंद) और (vi) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण (सीबीएफएल स्कीम- दिनांक 01.04.2021 से बंद) ।

ये योजनाएँ मांग आधारित हैं और निधियों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी करके प्रस्ताव मंगाए जाते हैं । एमओएफपीआई इन घटक योजनाओं के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं स्थापित के लिए अनुदान सहायता/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे शीत श्रृंखला अवसंरचना सहित प्रसंस्करण और परिरक्षण दोनों प्रकार की अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करता है। घटक योजनाओं के अंतर्गत निर्मित सुविधाएं कच्चे कृषि उत्पादों के परिरक्षण और प्रसंस्करण तथा कच्चे और तैयार प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के कुशल परिवहन में मदद करती हैं, जिससे कृषि उत्पादों के फसलोत्तर नुकसान को कम किया जा सकता है। एमओएफपीआई की उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत प्रगति का विवरण **अनुबंध -I** में दिया गया है ।

इसके अलावा, यह योजना न केवल सरकारी एजेंसियों को, बल्कि निजी फर्मों, कंपनियों, सहकारी समितियों, एनजीओ एफपीओ, व्यक्तियों आदि को भी शीत श्रृंखला /प्रसंस्करण/भंडारण इकाइयां आदि स्थापित करने में भाग लेने की अनुमति देती है, बशर्ते वे पात्रता की शर्तें पूरी करें।

(च): राजस्थान राज्य के लिए पीएमकेएसवाई, पीएमएफएमई और पीएलआईएसएफपीआई की स्थिति **अनुबंध-II** पर दी गई है ।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत , आज तक, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ , प्रतापगढ़ जिलों में किसी भी परियोजना की स्वीकृति नहीं मिली है । राजस्थान के उदयपुर जिले और महाराष्ट्र के पालघर जिले की जानकारी **अनुबंध -III** में दी गई है ।

पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत, राजस्थान राज्य में 244.82 रुपये के प्रतिबद्ध निवेश और 279.94 रुपये के वास्तविक निवेश के साथ 6 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है । अभी तक, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ , प्रतापगढ़ और उदयपुर ज़िलों और महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं है।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ , प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों की स्थिति नीचे दी गई है:

चित्तौड़गढ़ जिले के लिए ,

- **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी:** 2.73 करोड़ रुपये की स्वीकृत सब्सिडी के साथ **40** ऋण मंजूर किए गए।
- **प्रारंभिक पूंजी** : 217 एसएचजी सदस्यों के लिए 0.72 करोड़ रुपये की मंज़ूरी।

प्रतापगढ़ जिले के लिए

- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी 0.99 करोड़ रुपये की स्वीकृत सब्सिडी के साथ **19** ऋण मंजूर किए गए।
- **प्रारंभिक पूंजी:** 178 एसएचजी सदस्यों के लिए 0.47 करोड़ रुपये की मंज़ूरी।

उदयपुर जिले के लिए ,

- **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी:** 5.05 करोड़ रुपये की स्वीकृत सब्सिडी के साथ **79** ऋण मंजूर किए गए।
- **प्रारंभिक पूंजी :** 137 एसएचजी सदस्यों के लिए 0.40 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

महाराष्ट्र के पालघर जिले के लिए

- **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी:** 7.68 करोड़ रुपये की स्वीकृत सब्सिडी के साथ **343** ऋण मंजूर किए गए।
- **प्रारंभिक पूंजी :** 543 एसएचजी सदस्यों के लिए 1.54 करोड़ रुपये की मंज़ूरी।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 11, 2025 को उत्तर हेतु "फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए अध्ययन" के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 1843 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क. पीएमकेएसवाई स्कीम केअंतर्गत प्रगति

दिनांक 31.10.2025 तक पीएमकेएसवाई की विभिन्न उप-योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं का विवरण										
क्र. सं.	**योजना**	**स्वीकृत परियोजनाएँ**	**पूर्ण/ प्रचालनरत**	**पीसी (करोड़ में)**	**स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)**	**जारी अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)**	**प्रसंस्करण (एलएमटी/वर्ष)**	**परिक्षण (एलएमटी/वर्ष)**	**रोज़गार**	**लाभान्वित किसान**
1	एपीसी	67	22	592.07	184.04	146.09	4.80	1.92	17133	81300
2	बीएफएल	60	53	605.79	143.31	138.44	4.03	3.36	28958	388116
3	सीसी	404	300	8122.28	2215.11	2195.29	118.31	26.47	180000	2865600
4	सीईएफपीपीसी	518	343	5317.07	1257.67	1228.69	76.40	0.00	128398	71488
5	एफटीएल	205	171	762.04	335.98	330.15	0.00	0.00	6327	0
6	एमएफपी	41	25	2929.84	1221.96	1124.24	10.96	18.55	70979	60277
7	ओजी	41	15	709.01	169.00	158.34	4.28	0.54	22034	111024
8	अनुसंधान और विकास	257	227	93.91	91.82	81.77	0.00	0.00	0	0
9	कौशल	26	25	18.55	9.00	9.03	0.00	0.00	0	0
	कुल	**1619**	**1181**	**19150.56**	**5627.89**	**5412.05**	**218.77**	**50.84**	**453829**	**3577805**

पालघर जिला, महाराष्ट्र में पीएमकेएसवाई का विवरण								
क्र. सं.	**योजना**	**परियोजना का नाम**	**क्षेत्र**	**परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)**	**स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)**	**जारी अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)**	**प्रसंस्करण क्षमता एलएमटी/वर्ष**	**परिरक्षण क्षमता एलएमटी/वर्ष**
1	**शीत श्रृंखला योजना**	हेरिटेज फूड्स लिमिटेड	डेरी	46.06	9.82	7.23	0.27	0.20
2	**शीत श्रृंखला योजना**	भारत ई किरण टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	विकिरण	23.45	7.22	0.00		0.051

ख. देश भर में पीएमएफएमई की प्रगति

क्र. सं.	**घटक**	**समग्र उपलब्धि**
1	क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी- व्यक्तिगत उद्यम	1,62,744
2	क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी- साझा अवसंरचना	101
3	प्रारंभिक पूंजी राशि के साथ स्वीकृत एसएचजी सदस्यों की संख्या)	5 एसएचजी सदस्यों के लिए 1244.95 करोड़ रुपये

4	स्वीकृत इंक्यूबेशन सेंटर	208.11 करोड़ रुपये के परिव्यय से 76 इनक्यूबेशन केंद्र-24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मंज़ूरी मिली। 21 मान्यता प्राप्त।
5	ब्रांडिंग और मार्केटिंग	27

दिनांक 31.10.2025 के अनुसार
महाराष्ट्र के पालघर जिले के लिए ,
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी: 7.68 करोड़ रुपये की स्वीकृत सब्सिडी के साथ **343** ऋण मंजूर किए गए ।
प्रारंभिक पूंजी : 543 एसएचजी सदस्यों के लिए 1.54 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

ग. पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत प्रगति

पीएलआई योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत स्वीकृत आवेदनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	योजना	खंड	अनुमोदनों की संख्या	कुल
1	पीएलआईएसएफपीआई की श्रेणी-I	आरटीई/आरटीसी	12	53
		एफ एंड वी	27	
		समुद्री उत्पाद	10	
		मोज़ेरेला चीज़	4	
2	पीएलआईएसएफपीआई की श्रेणी-II	नवीन	2	15
		जैविक	13	
3	पीएलआईएसएफपीआई की श्रेणी-III	बी एंड एम	73	73
4	पीएलआईएसएमबीपी	बड़ी संस्थाएँ	8	29
		एमएसएमई	21	
कुल			**170**	**170**

दिनांक 31.10.2025 के अनुसार

श्रेणी-वार कुल इकाइयाँ

श्रेणी	खंड	स्थान	श्रेणी-वार कुल योग
श्रेणी- I	आरटीई/आरटीसी	95	212
	एफ एंड वी	83	
	समुद्री उत्प[द	28	
	मोज़. चीज़	6	
श्रेणी- II	जैविक	15	17
	नवीन	2	
मिलेट	बड़ी इकाई	16	45
	एमएसएमई	29	
कुल		**274**	

दिनांक 31.10.2025 के अनुसार

इस योजना ने वर्ष 2026-27 तक 2.5 लाख के लक्ष्य की तुलना में 3.40 लाख से ज़्यादा रोज़गार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) सृजित किए हैं, और दिनांक 31.10.2025 तक पीएलआई से सहायता प्राप्त इकाइयों में 7722 करोड़ रुपये का प्रतिबद्ध निवेश किया गया है। पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत , महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में किसी इकाई को नहीं चुना गया ।

अनुबंध-II

दिनांक 11, 2025 को उत्तर हेतु "फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए अध्ययन" के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 1843 के भाग (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(दिनांक 31.10.2025 के अनुसार) राजस्थान में पीएमएफएमई की स्थिति:

जारी निधि: योजना के विभिन्न घटकों को लागू करने के लिए केंद्र का हिस्सा 83.22 करोड़ रुपये जारी किया गया।

सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	स्वीकृत सब्सिडी (करोड़ में)	एसएचजी सदस्यों की संख्या	स्वीकृत सब्सिडी (करोड़ में)	अनुमोदित इन्क्यूबेशन केन्द्रों की संख्या	स्वीकृत सब्सिडी (करोड़ में)
1351	79.53	7857	27.03	8	23.11

दिनांक 31.10.2025 के अनुसार राजस्थान में पीएमकेएसवाई की स्थिति

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत पूर्ण परियोजनाओं की जानकारी						
स्वीकृत परियोजनाएँ	पूर्ण/प्रचालनरत परियोजनाएँ	परियोजना लागत (करोड़ में)	स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ में)	जारी की गई अनुदान सहायता (करोड़ में)	प्रसंस्करण (एलएमटी/वर्ष)	परिरक्षण (एलएमटी/वर्ष)
55	36	619.78	177.74	172.34	6.02	2.55

दिनांक 31.10.2025 के अनुसार राजस्थान में पीएलएसएफपीआई की स्थिति:

प्रतिबद्ध निवेश	वास्तविक/ रिपोर्ट किया गया निवेश	प्रचालनरत	कार्यान्वयणाधीन	23 नवंबर 2025 तक उत्पन्न रोजगार	प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता वृद्धि (एल/एमटी)
244.82	279.94	6	0	12742	122894

अनुबंध- III

दिनांक 11, 2025 को उत्तर हेतु "फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए अध्ययन" के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 1843 के भाग (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राजस्थान के उदयपुर जिले और महाराष्ट्र के पालघर जिले में पीएमकेएसवाई परियोजनाओं की जानकारी

राजस्थान के उदयपुर जिले में पीएमकेएसवाई परियोजनाओं की जानकारी								
क्र. सं.	**योजना**	**परियोजना का नाम**	**क्षेत्र**	**अनुमोदन की तिथि**	**परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)**	**स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)**	**जारी अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)**	**स्थिति**
1	**अनुसंधान एवं विकास**	अभिनव डेयरी उत्पादों के सूत्रीकरण में विभिन्न मसलों और उनके अनुप्रयोग से कोलोस्ट्रम बायो एक्टिव घटकों का निरूपण (महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर)	सरकारी	2012-13	0.8726	0.8726	0.8715	पूर्ण
2	**अनुसंधान एवं विकास**	बेहतर गुणवत्ता और पौष्टिक मान हेतु बेकरी उत्पादों में मिलेट को शामिल करने का एआई-संचालित आप्टीमाइज़ेशन	सरकारी	2025-26	0.3772	0.3772	0	कार्यान्वयणाधीन

पालघर जिला, महाराष्ट्र में पीएमकेएसवाई परियोजनाओं की जानकारी										
क्र. सं.	**योजना**	**परियोजना का नाम**	**क्षेत्र**	**अनुमोदन की तिथि**	**परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)**	**स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)**	**जारी अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)**	**स्थिति**	**प्रसंस्करण क्षमता एलएमटी/वर्ष**	**परिरक्षण क्षमता एलएमटी/वर्ष**
1	**शीत श्रृंखला**	हेरिटेज फूड्स लिमिटेड	डेयरी	11-12-2018	46.06	9.82	7.23	पूर्ण	0.27	0.20
2	**शीत श्रृंखला**	भारत ई किरण टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	विकिरण	24-09-2025	23.45	7.22	0.00	कार्यान्वयणाधीन		0.051